भा.कृ.अ.प.–राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र

तबीजी, अजमेर–305206

Tel No: 0145-2684413, Fax No:2684417, Website : www.nrcss.icar.gov.in

फा.सं. :4–568 / 2022–P&S दिनांक : 30.08.2022

कृषक भागीदारी बीज उत्पादन FPSP कार्यक्रम के नियम एवं शर्ते

राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, तबीजी, अजमेर द्वारा **"कृषक भागीदारी बीज उत्पादन कार्यक्रम"** के अंतर्गत बीजीय मसाला फसलों के टीएफएल बीज उत्पादन हेतु इच्छुक किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:–

1. इच्छुक किसान इस संबंध में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **21.09.2022** को **02:30** बजे तक हैं तथा उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे आवेदन खोले जायेंगे।

2. कृषक भागीदारी बीज उत्पादन के अंतर्गत बीजीय मसाला फसलों के टीएफएल बीज उत्पादन हेतु किसानों का चयन केन्द्र पर गठित सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों में से ही किया जायेगा।

3. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 20–25 किसानों का चयन किया जाना संभावित है तथा विभिन्न बीजीय मसाला फसलों के संभावित उत्पादन लक्ष्य निम्न प्रकार है (जीरा–120 बीघा, धनिया–20 बीघा, मेथी– 18 बीघा, अजवायन– 12 बीघा, कलौंजी–20 बीघा एवं सौंफ– 2 बीघा)।

4. सक्षम समिति द्वारा किसानों का चयन उनकी बीज उत्पादन में अनुभव, जरूरी उपलब्ध संसाधन तथा मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण अधिकार संबंधित समिति का होगा जिसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

5. बीजीय मसाला फसलों के बीज उत्पादन हेतु निम्नलिखित मूलभूत आवशयकताएं है, जो कि सभी चयनित किसानों को माननी होगी–

   अ. पिछले 2 वर्षों में उस प्रक्षेत्र पर समान फसल / किस्म नहीं लगाई गई हो।

   ब. दूसरी समान फसल / किस्म से पृथक्करण दूरी कम से कम 400 से 800 मीटर तक की होनी चाहिए।

6. आवेदन प्रपत्र में किसान द्वारा इच्छित फसल, प्रक्षेत्र तथा अन्य जानकारियाँ देनी होगी एवं गलत जानकारी देने पर संबंधित किसान का बीज उत्पादन कार्यक्रम किसी भी चरण मे रद्द कर दिया जायेगा जिसके लिए किसान स्वय जिम्मेदार होगा।

7. चयनित किसानों को उनके प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन हेतु उचित किस्म का बीज संस्थान से ही स्वयं की लागत पर खरीदना होगा।

8. टीएफएल बीज उत्पादन केन्द्र गठित समिति की देखरेख एवं निर्देशन में किया जायेगा तथा समय–समय पर बीज उत्पादित क्षेत्र का समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

9. निरीक्षण के दौरान बीज उत्पादन समिति द्वारा दिये गये दिशा निर्देश (जैसे रोगिंग, कीट / रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण तथा पोषण तत्त्व प्रबंधन) को किसान द्वारा मान्य करना होगा।

10. उक्त बीजोत्पादन कार्य किसान द्वारा निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की आपदा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि आदि से बीजोत्पादन प्रभावित होने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा केन्द्र द्वारा नही दिया जाएगा।

11. संबंधित किसान को फसल से संबंधित विभिन्न कार्यों की सूचना समय–समय पर केन्द्र को देनी होगी।

12. उत्पादित बीज के थ्रेसिंग के पश्चात बीज का नमूना केन्द्र को भेजना होगा जिसका सक्षम समिति द्वारा/प्रयोगशाला में निरीक्षण किया जायेगा तथा गुणवत्ता के आधार पर नमुना पास होने के तदुपरांत ही बीज की खरीद की जायेगी।

13. किसान को कटाई तथा सफाई उपरांत पैदा किए गए बीजों को केन्द्र तक स्वयं के खर्च पर पहुंचाना होगा। इसके लिए केन्द्र द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

14. केन्द्र पर लाये गये बीज की तुलाई के पहले हाथ से छनाई की जावेगी तथा छनाई में निकला हुआ कचरा किसान द्वारा वापस लिया जायेगा।

15. उत्पादित बीज का खरीद मुल्य केन्द्र द्वारा आस–पास की मण्डीयों के 15 दिन के उच्चतम खरीद मूल्य के औसत के आधार पर निर्धारित किया जायेगा, जो कि किसान द्वारा मान्य होगा।

16. केन्द्र द्वारा क्रय किये गये बीजों की जाँच केन्द्र पर प्रयोगशाला में की जायेगी तथा जिन किसानों के बीज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से अधिक होगी उन किसानों को क्रय मुल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस भी प्रदान किया जाएगा।

17. बीज उत्पादन कार्यक्रम के दौरान किसान किसी भी कार्य के लिए संस्थान को बाध्य नहीं कर सकता तथा इस कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधी पर सम्पूर्ण नियंत्रण का अधिकार केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा और केन्द्र को किसी भी समय, चुने गए किसानों को इस कार्यक्रम से विच्छिन्न करने का अधिकार होगा।

18. किसान द्वारा बीजीय मसाला फसलों के टीएफएल बीज उत्पादन हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ भूमि पर स्वयं के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज/जमाबंदी, बैंक का विवरण तथा फोटो पहचान पत्र संस्थान में जमा करवाने होगें।

प्रभारी,
कृषक भागीदारी बीज उत्पादन (FPSP)

संलग्न : प्रस्ताव (RFP) हेतु ''प्रपत्र''

प्रस्ताव (RFP) हेतु ''प्रपत्र''

PHOTO
(कृपया अपना नवीनतम फोटो यहाँ चिपकाये)

सेवा में,

निदेशक,
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र,
तबीजी, अजमेर–305206.

क्र.सं.	मानदण्ड		प्रत्युत्तर
1	किसान/व्यक्ति का नाम		
2	मोबाइल नम्बर		
3	पिता का नाम		
4	पूर्ण पता		
5	जन्म दिनांक		
6	प्रक्षेत्र/भूमि का क्षेत्रफल जिस पर उसका मालिकाना हक हो (ऐरिया)		
7	पानी की उपलब्धता (हाँ/नहीं)		
8	पिछले 3 वर्षों में फसलोत्पादन (मात्रा) (कि.ग्रा.)	**वर्ष 2021 में**	
		वर्ष 2020 में	
		वर्ष 2019 में	
9	**बैंक अकाउंट नंबर (स्वयं का)**		
10	**बैंक का नाम**		
11	**बैंक शाखा का पूर्ण पता**		
12	**बैंक शाखा का IFSC No.**		
13	प्रस्तावित प्रक्षेत्र/भूमि का क्षेत्रफल जिस पर ''बीजीय मसाला फसल'' लगायी जा सकती है।		
14	अन्य वांछित सूचना (यदि कोई हो)		

(कृपया उपर्युक्त प्रपत्र तथा Undertaking पूर्ण रूप से भरकर निदेशक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, तबीजी, अजमेर–305206 को संबोधित करते हुए सीलबन्द लिफाफे में केन्द्र को प्रेषित करें)

नोट :–

1. प्रक्षेत्र/भूमि का आकार, जिस पर स्वयं का मालिकाना हक हो, के संबंध में **दस्तावेज** आवश्यक रूप से संलग्न करें।
2. बैंक अकाउंट के संबंध में पूर्ण विवरण, **बैंक पासबुक की फोटोकॉपी** तथा **रद्द चैक** की फोटोकॉपी के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
3. किसान द्वारा संलग्न Undertaking प्रपत्र भी भरकर जमा कराया जाना चाहिए।

दिनांक **: …………**

किसान/व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

UNDERTAKING

(किसान द्वारा भरा जाये)

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर (हा / नही)
1	किसान के पास अच्छे बीजों के उत्पादन हेतु सभी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।	
2	किसान को बीजीय फसल तथा अनाज वाली फसल के मध्य अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा फसल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।	
3	किसान द्वारा बीजों का क्रय इस संस्थान से किया जायेगा तथा किसानों द्वारा सभी कार्यकलाप निर्देशानुसार किया जाना चाहिए।	
4	किसान द्वारा निगरानी के समय दिये गये निर्देशों यथा रफिंग, हानिकारक खरपतवार को हटाना, कीटनाशक का छिड़काव आदि की तुरंत पालना की जानी चाहिए।	

दिनांक :............................

किसान/व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान